महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 19 /71–4–2018–15 / 18

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2018

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2018–19, हेतु स्नातकोत्तर पाठ्क्रमों में प्रवेश के लिए नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 08.03.2018 के बिन्दु संख्या–10 एवं 15 का शुद्धिकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–18 / 2018 / 402 दिनांक 09.03.2018 एवं पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / 400 दिनांक 09.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–12 / 71–4–2018–15 / 2018, दिनांक 08 मार्च, 2018 द्वारा National Eligibility cum Entrance Test (NEET) P.G.-2018 की मेरिट सूची के आधार पर प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों / संस्थानों / मेडिकल कालेजों की समस्त सीटों एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों / निजी मेडिकल कालेजो / डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक मेडिकल / डेण्टल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण का शासनादेश निर्गत किया गया है।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 08.03.2018 के सुसंगत प्रस्तरों जिनका उल्लेख निम्नलिखित तालिका के कॉलम2 में उल्लिखित है, को कॉलम 3 में अकिंत प्रस्तावानुसार संशोधित / परिमार्जित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

<table>
<tr><td>क0 सं0</td><td>शासनादेश संख्या–12/71–4–2018–15/18 दिनांक 08.03.2018 के संबंधित बिन्दु संशोधन किया जाना है</td><td>शासनादेश संख्या–12/71–4–2018–15/18 दिनांक 08.03.2018 में यथासंशोधित व्यावस्था जिसके आधार पर प्रवेश/काउंसिलिग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>(10) निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश शुल्क व डोमेसाइल के संबंध में
➢ निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रदेश के मूल निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों को भी सीट आवंटन हेतु अर्ह माना जायेगा।</td><td>(10) निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश शुल्क व डोमेसाइल के संबंध में
➢ निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रदेश के मूल निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों को भी सीट आवंटन हेतु अर्ह माना जायेगा।
अल्पसंख्यक सस्थानो से इतर अन्य निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल तथा विश्वविद्यालय की सीटों पर आरक्षण देय नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>15काउंसिलिग हेतु समयसारणी
(i) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग
<table>
<tr><td>S. No.</td><td colspan="2">Date wise counseling schedule</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Date commencement of first online counseling (Choice filling)</td><td>1st April, 2018 to 3rd April, 2018 (3 Days) 10 am to</td></tr>
</table></td><td>15काउंसिलिग हेतु समयसारणी
(i) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग
<table>
<tr><td>S. No.</td><td colspan="2">Date wise counseling schedule</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Date commencement of first online counseling (Choice filling)</td><td>2nd April, 2018 to 4th April, 2018 (3 Days) 10 am to</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		10 pm			10 pm
4.	Declaration of result of seat allotment 1^{st} list	5^{th} April, 2018	4.	Declaration of result of seat allotment 1^{st} list	6^{th} April, 2018
5.	Date of downloading allotment letters	6^{th} April to 11^{th} April, 2018	5.	Date of downloading allotment letters	7^{th} April to 11^{th} April, 2018
(ii) द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग			(ii) द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग		
8.	Date of downloading allotment letters	26^{th} April, 2018 to 28th April, 2018(3 Days)	8.	Date of downloading allotment letters	27^{th} April, 2018 to 28th April, 2018(2 Days)

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /9 (1)/71–4–18–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया /डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लाहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

4-

9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

LKM GO 2018